

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4
संख्या-505/8-4-15-55एन/2014
लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये कर-करेत्तर राजस्व की प्राप्तियों के लम्बित उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने, रिक्त नजूल भूमि को विक्रय किये जाने तथा पट्टागत नजूल भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट जमा कराये जाने से प्राप्त होने वाले राजस्व प्राप्तियों की जनपदवार वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसका समय-समय पर शासन स्तर पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों का वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसकी जनपदवार फॉट, अनुलग्नक-1 में दी गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि राजस्व प्राप्तियों हेतु लक्ष्य का निर्धारण शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त किया गया है। जनपदवार निर्धारित वार्षिक लक्ष्य एवं मासिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के लिए तैयार की गयी कार्य-योजना अनुलग्नक-2 में अवलोकनीय है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि का प्रबन्धन एवं निस्तारण नजूल नीति के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जाता है। नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने की दरों एवं नीति में संशोधन विषयक नवीनतम शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137एन/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 द्वारा जारी किया गया है एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137एन/13, दिनांक 15.01.2015 द्वारा उसका संशोधन निर्गत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि शासन के प्रवृत्त निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि के निस्तारण की कार्यवाही प्रभावी प्रयास करके प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि जनपदवार निर्धारित वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त किया जा सके। कृपया इस संबंध में मासिक/वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 04 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराने तथा उसे आवास बन्धु की ई-मेल आईडी0 awas@up.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरिकान्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या- 565 (1) / 8-4-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन ।
- 2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
- 4- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
- 6- वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- 8- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
- 9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 10- निदेशक, आवास-बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराते हुए इसकी प्रति सम्बन्धितों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(इन्दु बाला कटियार)

अनु सचिव ।

✓

अनुलग्नक-1

(लाख रूपये में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16 का मासिक लक्ष्य
1	2	3	4
आगरा मण्डल			
1	आगरा	270.00	22.50
2	फिरोजाबाद	35.00	2.92
3	मथुरा	70.00	5.83
4	मैनपुरी	35.00	2.92
	मण्डल योग	410.00	34.17
अलीगढ़ मण्डल			
5	अलीगढ़	83.00	6.92
6	महामाया नगर (हाथरस)	4.00	0.33
7	एटा	4.00	0.33
8	● कासगंज (कांशीराम नगर)	—	—
	मण्डल योग	91.00	7.58
आजमगढ़ मण्डल			
9	● आजमगढ़	—	—
10	बलिया	3.00	0.25
11	मऊ	3.00	0.25
	मण्डल योग	6.00	0.50
इलाहाबाद मण्डल			
12	इलाहाबाद	3154.00	262.83
13	● कौशाम्बी	—	—
14	प्रतापगढ़	6.00	0.50
15	फतेहपुर	6.00	0.50
	मण्डल योग	3166.00	263.83
कानपुर मण्डल			
16	इटवा	4.00	0.33
17	औरैया	3.00	0.25
18	■ कन्नौज	—	—
19	● कानपुर देहात	—	—
20	कानपुर नगर	17.00	1.42

21	फर्रुखाबाद	17.00	1.42
	मण्डल योग	41.00	3.42
गोरखपुर मण्डल			
22	कुशीनगर	3.00	0.25
23	गोरखपुर	370.00	30.83
24	देवरिया	4.00	0.33
25	● महाराजगंज	—	—
	मण्डल योग	377.00	41.41
चित्रकूट धाम मण्डल			
26	चित्रकूट	4.00	0.33
27	बांदा	97.00	8.08
28	महोबा	4.00	0.33
29	हमीरपुर	20.00	1.67
	मण्डल योग	125.00	10.41
झांसी मण्डल			
30	झांसी	155.00	12.92
31	जालौन	6.00	0.50
32	ललितपुर	235.00	19.58
	मण्डल योग	396.00	33.00
देवी पाटन मण्डल			
33	गोण्डा	30.00	2.50
34	● बलरामपुर	—	—
35	बहराइच	15.00	1.25
36	● श्रावस्ती	—	—
	मण्डल योग	45.00	3.75
फैजाबाद मण्डल			
37	अम्बेडकर नगर	4.00	0.33
38	फैजाबाद	60.00	5.00
39	बाराबंकी	17.00	1.42
40	सुल्तानपुर	4.00	0.33
41	अमेठी	6.00	0.50
	मण्डल योग	91.00	7.58
बरेली मण्डल			
42	पीलीभीत	53.00	4.42
43	बदायूं	21.00	1.75

44	बरेली	132.00	11.00
45	शाहजहांपुर	5.00	0.41
	मण्डल योग	211.00	17.58
बस्ती मण्डल			
46	बस्ती	3.00	0.25
47	● सन्तकबीर नगर	—	—
48	● सिद्धार्थ नगर	—	—
	मण्डल योग	3.00	0.25
मुरादाबाद मण्डल			
49	● अमरोहा (ज्योतिबाफूले नगर)	—	—
50	बिजनौर	5.00	0.42
51	मुरादाबाद	21.00	1.75
52	रामपुर	14.00	1.16
53	● सम्भल	—	—
	मण्डल योग	40.00	3.33
मेरठ मण्डल			
54	● गाजियाबाद	—	—
55	● गौतमबुद्ध नगर	—	—
56	● बागपत	—	—
57	बुलन्दशहर	240.00	20.00
58	मेरठ	35.00	2.92
59	हापुड़	—	—
	मण्डल योग	275.00	22.92
लखनऊ मण्डल			
60	उन्नाव	5.00	0.42
61	लखीमपुर खीरी	21.00	1.75
62	रायबरेली	36.00	3.00
63	लखनऊ	2525.00	210.42
64	सीतापुर	40.00	3.33
65	हरदोई	16.00	1.33
	मण्डल योग	2643.00	220.25
वाराणसी मण्डल			
66	गाजीपुर	3.00	0.25

67	● चन्दौली	—	—
68	जौनपुर	4.00	0.33
69	वाराणसी	5.00	0.42
	मण्डल योग	12.00	1.00
मिर्जापुर मण्डल			
70	मिर्जापुर	19.00	1.58
71	● सन्तरविदास नगर (भदोही)	—	—
72	सोनभद्र	9.00	0.75
	मण्डल योग	28.00	2.33
सहारनपुर मण्डल			
73	सहारनपुर	40.00	3.33
74	● मुजफ्फरनगर	—	—
75	● शामली	—	—
	मण्डल योग	40.00	3.33
	महायोग—	8000.00	676.64

नोट—


- जनपद—कासगंज / आजमगढ़ / कौशाम्बी / कन्नौज / कानपुरदेहात / महाराजगंज / बलरामपुर / श्रावस्ती / हापुड़ / सन्तकबीरनगर / सिद्धार्थनगर / अमरोहा / सम्भल / गाजियाबाद / गौतमबुद्धनगर / बागपत / चन्दौली / सन्त रविदास नगर / मुजफ्फरनगर (कुल 19 जनपद) में नजूल भूमि न होने की सूचना के आधार पर लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।

(इन्दु बाला कटियार)
अनु सचिव।

नजूल भूमि के निस्तारण के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने की कार्य-योजना।



- 1- नजूल सम्बन्धी अभिलेखों का समुचित रख-रखाव जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा नजूल रजिस्टर का डिजिटलाईजेशन कराया जाय।
- 2- जनपदों की समाप्त पट्टे की नजूल भूमि पर नियमानुसार पुनर्प्रवेश की कार्यवाही करके उसका निस्तारण नीलामी/निविदा के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जाय।
- 3- फ्री-होल्ड विषयक प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करते हुए उसकी सूचना प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से दी जाय।
- 4- नजूल भूमि की फ्री-होल्ड नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवेदन-पत्रों का एक माह के अन्दर निस्तारण किया जाय।
- 5- रिक्त नजूल भूमि का समाचार पत्रों में विज्ञप्ति/नीलामी/निविदा का प्रकाशन कराकर समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाय।
- 6- नजूल भूमि के फ्री-होल्ड किये जाने के ऐसे प्रकरण जो मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं उन मामलों में शासन का पक्ष रखते हुए प्रति-शपथपत्र तैयार कराकर दाखिल किया जाय तथा स्थगन आदेश सम्बन्धी आदेशों को प्रभावी पैरवी कर निरस्त कराया जाय, ताकि प्रकरण से संबंधित नजूल भूमि फ्री-होल्ड हो सके।
- 7- अवैध कब्जों को नियमानुसार रिक्त कराकर उसका नीलामी/निविदा द्वारा निस्तारण कराया जाय।
- 8- प्रत्येक माह नजूल भूमि के फ्री होल्ड/विक्री/नीलामी/निविदा/लीज रेंट से प्राप्त राजस्व की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन को भेजी जाय।


(इन्दु बाला कटियार)
अनु सचिव।

